उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग—2
संख्या—4045/सेक—2—पॉच—16—6(22)/2015
लखनऊ :: दिनांक : 9 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 आभा श्रीवास्तव (वरिष्ठता क्रमांक—5064), सेवानिवृत्त अपर निदेशक द्वारा कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 15.02.2007 से पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या—6950/2008 डा0 आभा श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.02.2008 पारित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में चिकित्सा अनुभाग—11 के कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 22.09.2008 द्वारा याची के प्रकरण को इस तथ्य का उल्लेख करते हुए निस्तारित किया गया कि उनकी वर्ष 1996—97, 1999—2000, 2001—02 एवं 2005—06 की प्रविष्टियां उपलब्ध न होने के कारण उसकी पदोन्नति नहीं की गयी तथा आगामी चयन समिति की बैठक में नियमानुसार पदोन्नति पर विचार किया जायेगा। तदन्तर दिनांक 02.09.2009 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार शासन के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—1883/पांच—11—2009—म(251)/2009, दिनांक 29.09.2009 द्वारा उन्हें लेवल—3 से लेवल—4 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2— शासन द्वारा निर्गत उक्त प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 22.09.2008 के विरूद्ध याची डा0 आभा श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या—898 (एस/बी)/2009 डा0 आभा श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें दिनांक 01.07.2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गयेः—

> "While passing the impunged order dated 22-09-2008, it has been observed by the State Government that whenever the promotion shall take place, the case of the petitioner shall also be considered for promotion along with others. Needless to say that in case the petitioner is found eligible for promotion on next higher post, she shall be entitled for all benefits from the date when the juniors, if any, have been given.
> Accodingly, the impunged order does not call for any interference by this court.
> The writ petition is disposed of finally.
> However, it is provided that whenever the promotion is done, the case of the petitioner for promotion shall also be considered along with others."

3— मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 01.07.2009 के अनुपालन में याची की अनुपलब्ध गोपनीय प्रविष्टियां पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत डा0 आभा श्रीवास्तव (वरिष्ठता क्रमांक—5064) को उनके कनिष्ठ डा0 मंजू मलिक (वरिष्ठता क्रमांक—5068) की पदोन्नति की तिथि 15.02.2007 से लेवल—4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) में नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 30.08.2016 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 मंजू मलिक (वरिष्ठता क्रमांक—5068) की पदोन्नति की तिथि 15.02.2007 से लेवल—4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) (वेतनमान रू0 37,400—67,000 ग्रेड—पे—8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या—4045(1)/सेक—2—पांच—16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।

5– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को रिट याचिका संख्या–898 (एस/बी)/2009 डा0 आभा श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.07.2009 के अनुपालन में।

6– कोषाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।

7– डा0 आभा श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद वर्तमान पता–जी0–256, सेक्टर–बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0–201308।

8– प्रभारी, कम्प्युटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।